

मदन लाल शासकीय महाविद्यालय

मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला

नैक से 2.00 स्कोर के साथ C ग्रेड की अधिमन्यता (प्रथम चक्र 2020-21 से 2025-26)
यू.जी.सी. के 2F के अंतर्गत अधिमन्यता (हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बद्धता प्राप्त)

विवरणिका – 2023-24

(महाविद्यालय में संचालित प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए)

प्रकाशक

मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला –बालोद (छ.ग.)

संपर्क : 07749- 265600

Emil id- govtcollegearm@gmail.com Web site - gc-armarikala.in

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ



महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता



महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहन



महाविद्यालय एड्स जागरूकता रैली



महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहन



महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के प्रारंभ करने हेतु दीप प्रज्ज्वलन में भाग लेती छात्राएँ।

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला,
जिला बालोद (छ.ग.) 491222
स्थापना -23.06.2011

नैक से 2.00 स्कोर के साथ C ग्रेड की अधिमान्यता (प्रथम चक्र 2020-21 से 2025-26)
यू.जी.सी. के 2F के अंतर्गत अधिमान्यता (हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बद्धता प्राप्त)

विवरणिका - 2023-24

(महाविद्यालय में संचालित प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए)

प्रकाशक

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.)
संपर्क -07749-265600 ईमेल आई.डी. - govtcollegearm@gmail.com
Web Site - www.gc-armarikala.in Price..... / -

विषय – सूची

- | क्रं. | विवरण |
|-------|---|
| 1. | प्राचार्य का संदेश |
| 2. | स्वर्गीय मदनलाल साहू – एक परिचय |
| 3. | महाविद्यालय का परिचय |
| 4. | सत्र 2023-24 का शैक्षणिक कैलेंडर |
| 5. | महाविद्यालय में संचालित प्रोग्राम/डिग्री/डिप्लोमा |
| 6. | महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्स का परीक्षा पद्धति। |
| 7. | स्ववित्तीय पाठ्यक्रम |
| 8. | महाविद्यालय में सत्र 2023-24 प्रवेश हेतु मार्गदर्शिका सिद्धांत। |
| 9. | प्रवेश के समय लिये जाने वाले शुल्क का विवरण। |
| 10. | प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज तथा प्रपत्रों की सूची। |
| 11. | शुल्क संबंधी रियायतें। |
| 12. | सुरक्षा राशि का प्रत्यावर्तन। |
| 13. | विद्यार्थियों हेतु समय सारणी। |
| 14. | अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी के लिए शुल्क। |
| 15. | ग्रंथालय |
| 16. | पाठयोत्तर गतिविधियाँ। |
| 17. | शिक्षक पालक समिति। |
| 18. | हेल्प डेस्क। |
| 19. | ST/SC/OBC प्रकोष्ठ। |
| 20. | महिला प्रकोष्ठ। |
| 21. | नियमित परीक्षार्थियों के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता। |
| 22. | महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज या ड्रेस कोड। |
| 23. | विद्यार्थियों के अलावा महाविद्यालय परिसर में कौन-कौन प्रवेश कर सकने वाले की सूची। |
| 24. | छात्रवृत्तियाँ। |
| 25. | महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए आचरण संहिता। |
| 26. | महाविद्यालय में अनुशासन संबंधी अधिनियम। |
| 27. | महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र। |
| 28. | रैगिंग। |
| 29. | महाविद्यालय में विभिन्न समितियाँ। |
| 30. | महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ की सूची। |
| 31. | महाविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची |
| 32. | छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम। |
| 33. | सत्र 2022-23 के वार्षिक परीक्षा परिणाम। |
| 34. | प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एवं। |

प्राचार्य की कलम से



डॉ. सपना कौर (प्रभारी प्राचार्य)
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

प्रिय विद्यार्थियों

उच्च शिक्षा को शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रखकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने की सरकार की सोच तथा संजारी बालोद क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक स्व. श्री मदनलाल साहू एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की सतत मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने अरमरीकला में उच्च शिक्षा की पूर्ति हेतु महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की थी।

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिसका पूर्व नाम शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला था, की स्थापना 01 जुलाई 2011 में हुई थी। प्रारंभ में यह महाविद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरमरीकला में संचालित था जहाँ स्नातक स्तर तक कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएँ होती थी। महाविद्यालय का भवन अगस्त 2016 को हस्तांतरित हुआ। अपनी स्थापना से लेकर अब तक महाविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। महाविद्यालय को 2022 में नैक की टीम 2.00 CGPA के साथ C ग्रेड प्रदान किया है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद, साहित्यिक - सांस्कृतिक गतिविधियों संचालित की जाती है। महाविद्यालय में PGDCA पाठ्यक्रम भी संचालित है। महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में गणित तथा बायो ग्रुप के साथ कम्प्यूटर वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 में समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ तथा DCA का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है साथ ही राजनीति विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, छात्रवृत्तियाँ आदि की व्यवस्था है।

महाविद्यालय की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राएँ निश्चित रूप से लाभांशित हुए हैं। विद्यार्थियों में अनुशासन, दक्षता, विषय के प्रति समझ आदि को विकसित करने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है एवं छात्रों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय निरंतर लिए जा रहे हैं।

प्रतिस्पर्धा के इस युग में अध्ययन के प्रति निष्ठा व एकाग्रता एवं कठिन परिश्रम से ही सफलता व लक्ष्य प्राप्ति संभव है विद्यार्थियों में ऐसी भावना विकसित करना महाविद्यालय का सर्वप्रथम उद्देश्य है तथा महाविद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य महाविद्यालय की प्रगति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है।

प्राचार्य

स्वर्गीय मदनलाल साहू जी का परिचय



स्व. मदनलाल साहू

समाजसेवी एवं भूतपूर्व विधायक विधानसभा संजारी बालोद

स्व. मदनलाल साहू तत्कालीन दुर्ग जिले के जुझारू एवं ऊर्जावान समाजसेवक एवं राजनेता थे जिनका व्यक्तित्व एवं छवि आज भी क्षेत्र के आमजन के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री मदनलाल साहू जी ने अपने युवाकाल से ही समाजसेवा को कर्म बनाया तथा क्षेत्र के युवाओं के शिक्षा एवं रोजगार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्व श्री मदनलाल साहू का जन्म ग्राम अरमरीकला, तहसील - गुरुर, जिला बालोद (छ.ग.) में दिनांक 13/03/1955 को हुआ था। माँ का नाम स्व. श्रीमती बिसो साहू तथा पिता का नाम श्री जगतराम साहू था। पिता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि माँ गृहणी थी। श्री साहू ने प्राथमिक शिक्षा ग्राम अरमरीकला के प्राथमिक शाला से पूर्ण करने के उपरांत स्नातकोत्तर की उपाधि अर्थशास्त्र विषय में अर्थशास्त्र अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। इसके उपरांत श्री साहू ने राजनीतिशास्त्र में भी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किया। अध्ययनकाल समाप्त होने के उपरांत उन्होंने शासकीय नौकरियों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा करने के रास्ते का चयन किया तथा जीवन पर्यन्त इसी रास्ते पर चलते रहे। वे अध्यक्ष एवं संरक्षक माँ चण्डी समिति अरमरीकला, व्यवस्थापक सरस्वती शिशु मंदिर अरमरीकला के पद पर कार्य किये।

श्री साहू जी समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा रहना आवश्यक समझते थे, जिसके कारण वे जनपद पंचायत गुरुर में सदस्य, अध्यक्ष जल उपभोक्ता संस्था तथा संजारी बालोद विधानसभा के विधायक के पदों पर निर्वाचित होकर जीवन पर्यन्त समाजसेवा के लिए समर्पित रहे। श्री साहू जी के नक्शे कदम पर चलते हुये उनकी पत्नि श्रीमती कुमारी मदनलाल साहू ने भी समाजसेवा के रास्ते पर चलती रही तथा विधानसभा संजारी बालोद से विधायक निर्वाचित रही।

क्षेत्र में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की कमी को वे हमेशा से महसूस करते रहें, जिसके लिए वे क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने का प्रयास निरंतर करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सत्र 2011 में नवीन शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला प्रारंभ हुआ। क्षेत्र ऐसे जुझारू एवं समर्पित समाजसेवक के प्रति हमेशा ऋणि रहेगी। ऐसे कर्मठ एवं माटीपुत्र के नाम पर हमारे महाविद्यालय का नामकरण किये जाने से महाविद्यालय परिवार गर्व महसूस करता है।

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.)

वर्ष 2011 में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कुमारी मदन साहू द्वारा 01 जुलाई 2011 को किया गया। प्रारंभ में बी.एस.सी. (प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र), बी.ए. (भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र) तथा बी.कॉम प्रोग्राम की अध्ययन अध्यापन की अनुमति प्रदान किया गया। वर्ष 2017 में बी.एस.सी. गणित समूह प्रारंभ किये जाने की अनुमति शासन द्वारा दिया गया। वर्ष 2019 में बी.एस.सी. प्रोग्राम में कम्प्यूटर साइंस कोर्स तथा बी.ए. प्रोग्राम में अर्थशास्त्र कोर्स की अनुमति दिया गया। वर्तमान परिदृश्य एवं क्षेत्रीय मांग अनुरूप सत्र 2022 में शासन द्वारा स्ववित्तीय मद से पीजीडीसीए प्रोग्राम तथा सत्र 2023 से डीसीए प्रोग्राम प्रारंभ करने की अनुमति शासन द्वारा दिया गया।

महाविद्यालय वर्ष 2011 से 2015 तक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध रहा, तत्पश्चात् वर्ष 2016 से हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन- अध्यापन, परीक्षा तथा पाठ्योत्तर गतिविधियाँ उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के नीति-नियमों तथा निर्देशानुसार संचालित होता है।

महाविद्यालय में को-एड शिक्षण व्यवस्था है, जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक है, जो क्षेत्र में लड़कियों के शिक्षा के प्रति आकर्षण को प्रदर्शित करता है। यह महाविद्यालय 20 एकड़ भूमि में विस्तारित है, जिसमें से

1504 वर्गमीटर में महाविद्यालय भवन तथा शेष भूमि में खेल मैदान, साइकल स्टैंड तथा वृक्षारोपण है। परिसर में क्रिकेट, फुटबाल, खो-खो, बैडमिन्टन तथा कबड्डी के खेल मैदान निर्मित है। महाविद्यालय के सीमा को तार-जाली से घेराव किया गया है।

महाविद्यालय भवन में अध्ययन-अध्यापन के लिए 13 कक्ष, प्रायोगिक कार्य हेतु 05 प्रयोगशाला कक्ष निर्मित है। प्राचार्य कक्ष, ICT युक्त कार्यालय, पुस्तकालय, ICT युक्त सभाकक्ष, स्टॉफ रूम, ICT युक्त कम्प्यूटर कक्ष, एन.एन.एस. कक्ष, रेडक्रॉस रूम, स्पोर्ट्स रूम, छात्राओं के लिए कॉमनरूम तथा छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक-पृथक दो-दो वासरूम महाविद्यालय भवन में स्थापित है। महाविद्यालय में अध्ययनरत अधिकांश छात्र-छात्राएँ निजी साइकल या मोटर साइकल से महाविद्यालय में आवागमन करते हैं जिसको ध्यान में रखते हुये दो साइकल स्टैंड निर्मित किया गया है। पेयजल, वासरूम में उपयोग तथा पौधरोपण के लिए जल की आवश्यकता को देखते हुए 02 नलकूप स्थापित किये गए हैं। वाटर हार्वैस्टिंग तथा जैविक खाद निर्माण के लिए भी महाविद्यालय में यूनिट निर्मित किया गया है।

MISSION & VISION OF THE COLLEGE

Mission:-

- 1- To develop such an excellent type of institution in village and agriculture dominated area, where student can get maximum opportunity for their own holistic development.
- 2- To inspire student for developing self reliance by increasing their understanding through Continuous valuation and training.

Vision :-

- 1- To Provide education of high standard to students.
- 2- To increase opportunities for gain through mutual Cooperation among all students and every member of the college.
- 3- To make effort for increasing capacity building in all students and every member of college through continuous valuation and training

महाविद्यालय में संचालित प्रोग्राम सत्र - 2023-24

| क्र | प्रोग्राम का नाम | स्वीकृत सीट | अनिवार्य योग्यता | अवधि |
|-----|------------------------|-------------|--|---------|
| 01 | बी.ए. | 130 | 10+2 उत्तीर्ण | 03 वर्ष |
| 02 | बी.कॉम. | 60 | 10+2 उत्तीर्ण | 03 वर्ष |
| 03 | बी.एस.सी. बायो समूह | 110 | 10+2 उत्तीर्ण (विज्ञान विषयों के साथ) | 03 वर्ष |
| 04 | बी.एस.सी. गणित समूह | 60 | 10+2 उत्तीर्ण (गणित विषयों के साथ) | 03 वर्ष |
| 05 | एम.ए. समाजशास्त्र | 25 | स्नातक उत्तीर्ण | 02 वर्ष |
| 06 | पीजीडीसीए | 40 | स्नातक उत्तीर्ण | 01 वर्ष |
| 07 | डीसीए | 30 | 10+2 उत्तीर्ण | 01 वर्ष |

नोट :- 1. बी.एस.सी. गणित समूह में कम्प्यूटर साइंस विषय चयन करने से 1300/- रुपये अतिरिक्त जनभागीदारी शुल्क भुगतान करना होगा।

सत्र 2023-24 का शैक्षणिक कैलेंडर

| क्रं. | विवरण | तिथियाँ |
|-------|---|---|
| 1 | प्रवेश प्रक्रिया (महाविद्यालय स्तर पर) | |
| | (क) स्नातक प्रथम वर्ष हेतु | 16.06.2023 से 31.07.2023 तक |
| | (ख) अन्य कक्षाओं हेतु | 16.06.2023 से 15.07.2023 या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन के भीतर |
| | (ग) प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से या शासन के निर्देशानुसार | |
| 2 | कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि | 14 अगस्त 2023 तक |
| 3 | नियमित कक्षाएँ प्रारंभ | 01.07.2023 से |
| 4 | वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन | मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह से |
| 5 | सभी वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा | 15.06.2024 के प्रथम सप्ताह से |
| 6 | पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा | 31.08.2024 तक |
| 7 | पूरक परीक्षा का आयोजन | न्यूनतम समय में |
| 8 | पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा | 31.10.2024 |
| 9 | छात्रसंघ गतिविधियाँ | |
| | (क) छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण | 24.08.2023 से 31.08.2023 तक छात्रसंघ गठन हेतु चुनाव/मनोनयन, शासन के निर्देशानुसार |
| 10 | खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियाँ :- | |
| | (क) खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर आउडोर) | 18.07.2023 से |
| | (ख) खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउडोर) | 20.12.2023 तक |
| | (ग) महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार विवरण | 21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2023 में से कोई दो दिन |
| 11 | एन.सी.सी./एन.एस.एस एवं अन्य गतिविधियाँ | |
| | (क) वृक्षारोपण कार्यक्रम | जुलाई, 2023 के द्वितीय सप्ताह |
| | (ख) महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन | 21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2023 में से कोई एक दिन |
| | (ग) एन.सी.सी./एनएसएस कैम्प का आयोजन | 23.12.2023 से 29.12.2023 तक |
| | (घ) दीक्षान्त समारोह (विश्वविद्यालय स्तर पर) | जनवरी-फरवरी 2024 |
| 12 | अवकाश | |
| | (क) दशहरा अवकाश (3 दिन) | 23.10.2023 से 25.10.2023 तक |
| | (ख) दीपावली अवकाश (5 दिन) | 10.11.2023 से 14.11.2023 तक |
| | (ग) शीतकालीन अवकाश (3 दिन) | 25.12.2023 से 27.12.2023 तक |
| | (घ) ग्रीष्मकालीन अवकाश (1 दिन) | 16.05.2024 से 15.06.2024 तक |
| 13 | आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम | |
| | 1 प्रथम यूनिट परीक्षा | 01.09.2023 |
| | 2 द्वितीय यूनिट परीक्षा | 30.09.2023 |
| | 3 तृतीय यूनिट परीक्षा | 06.11.2023 |
| | 4 प्रथम सत्र/सेमेस्टर परीक्षा | 28, 29, 30 नवम्बर 2023 |
| | 5 चतुर्थ यूनिट परीक्षा | 19.12.2023 |
| | 6 द्वितीय सत्र/सेमेस्टर परीक्षा | 28, 29, 30 दिसम्बर 2023 |
| | 7 प्री - फाइनल परीक्षा | जनवरी माह के अंतिम सप्ताह |
| 14 | वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम | |
| | 1 वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन | फरवरी 2024 से |
| | 2 वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन | मार्च 2024 प्रथम सप्ताह से |

नोट :- उपरोक्त निर्धारित तिथियों में शासन एवं महाविद्यालय स्तर से संशोधन किया जा सकता है।

महाविद्यालय में संचालित प्रोग्राम एवं कोर्स

| क्रं. | प्रोग्राम का नाम | प्रवेश हेतु कोर्स का नाम | कोर्स का प्रश्न पत्र का नाम एवं इकाई की संख्या | प्रत्येक प्रश्न पत्र के वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम अंक |
|-------|------------------|--------------------------|---|---|
| 01 | बी.ए. भाग एक | भूगोल | 1. भौतिक भूगोल - 05 2. मानव भूगोल - 05 3. प्रायोगिक भूगोल-05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | समाजशास्त्र | 1. समाजशास्त्र का परिचय 05 2. समकालीन भारतीय समाज 05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| | | राजनीति विज्ञान | 1. राजनीतिक सिद्धांत-05 2. भारतीय शासन एवं राजनीति-05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| | | अर्थशास्त्र | 1. व्यक्ति अर्थशास्त्र-05 2. भारतीय अर्थव्यवस्था-05 | अधिकतम 100 अंक न्यूनतम 33 अंक |
| 02 | बी.ए. भाग एक | भूगोल | 1. आर्थिक एवं संसाधन भूगोल- 05 2. भारत का भूगोल - 05 3. प्रायोगिक भूगोल-05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | समाजशास्त्र | 1. जनजातिय समाज का समाजशास्त्र - 05 2. अपराध और समाज-05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| | | राजनीति विज्ञान | 1. राजनीतिक चिन्तन-05 2. तुलनात्मक शासन एवं राजनीति - 05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| | | अर्थशास्त्र | 1. समष्टि अर्थशास्त्र-05 2. मुद्रा बैंकिंग और राजस्व-05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| 03 | बी.ए. भाग तीन | भूगोल | 1. सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली 05 2. छत्तीसगढ़ का भूगोल - 05 3. प्रायोगिक भूगोल-05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | समाजशास्त्र | 1. समाजशास्त्रीय विचारों की स्थापना - 05 2. समाजिक अनुसंधान विधिया-05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| | | राजनीति विज्ञान | 1. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति-05 2. लोक प्रशासन-05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| | | अर्थशास्त्र | 1. विकास और पर्यावरण -05 2. सांख्यिकीय पद्धतियों -05 | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 26 अंक |
| 04 | बी.एस.सी. भाग एक | वनस्पतिशास्त्र | 1. Microbiology - 05 2. Bryophyta, Presolophy- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | प्राणीशास्त्र | 1. Animal Diversity - 05 2. Histology - 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | रसायनशास्त्र | 1. Inorganic & Physical Chemistry- 05 2. Organic & Physical Chemistry- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | भौतिकशास्त्र | 1. Mechanics- 05 2. Electricity & Megnetism- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | कम्प्यूटर साइंस | 1. Computer Fundamental & Operating System- 05 2. Programming in C & C++ - 05 3. Practical - 50 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |

| | | | | |
|----|----------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| | | गणित | 1. Calculas - 05 2. Algebra- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| 05 | बी.एस.सी. भाग दो | वनस्पतिशास्त्र | 1. Taxonomy & Embryoway- 05 2. Plan physiology- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | प्राणीशास्त्र | 1. Anatomy & Physilogy - 05 2. Vertebrates Endocrinology - 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | रसायनशास्त्र | 1. Inorganic Chemistry - 05 2. Organic Chemistry - 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 33 अंक न्यूनतम 12 अंक |
| | | भौतिकशास्त्र | 1. Thermodynamic Kinetic Thoery- 05 2. Woves, Oeoustics & Optics- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | कम्प्यूटर साइंस | 1. Computer Fundamental- 05 2. HTML & C ++ - 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | गणित | 1. Advance Calculas- 05 2. Diffirential Equation- 05 3. Mechanics- 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| 06 | बी.एस.सी. भाग तीन | वनस्पतिशास्त्र | 1. Techniue Pamolory- 05 2. Cellboo & Genertics- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | प्राणीशास्त्र | 1. Ecology, Toxicology - 05 2. Genetics, Cell Physiology - 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | रसायनशास्त्र | 1. Qnaganic Chemistry - 05 2. Organic Chemistry - 05 3. Physical chemistry- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 33 अंक न्यूनतम 12 अंक |
| | | भौतिकशास्त्र | 1. Relativity Quantum mechnics- 05 2. Solid physics & electronics- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | कम्प्यूटर साइंस | 1. Computer Hardware- 05 2. DBMS & Visual Basic- 05 3. Practical - 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| | | गणित | 1. Analysis -05 2. Abstract Algebdra- 05 3. Discrate Mathematices- 05 | अधिकतम 50 अंक न्यूनतम 17 अंक |
| 07 | बी.कॉम. भाग एक | अनिवार्य प्रश्न पत्र | वित्तीय लेखांकन, व्यावसायिक संचार, व्यावसायिक गणित, व्यावसायिक नियमन रूपरेखा, व्यावसायिक पर्यावरण, व्यावसायिक अर्थशास्त्र - प्रत्येक में 05 इकाई | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 25 अंक |
| 08 | बी.कॉम. भाग दो | अनिवार्य प्रश्न पत्र | निगमीय लेखांकन, कंपनी विधि लागत लेखांकन, व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक सांख्यिकी, उद्यमिकता के मूल आधार - प्रत्येक में 05 इकाई | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 25 अंक |
| 09 | बी.कॉम. भाग तीन | अनिवार्य प्रश्न पत्र | आयकर एवं जीएसटी, अंकेक्षण, प्रबंधकीय लेखांकन, अप्रत्यक्ष कर, अंतरराष्ट्रीय विपणन, विपणन के सिद्धांत - प्रत्येक में 05 इकाई | अधिकतम 75 अंक न्यूनतम 25 अंक |

| | | | | |
|----|--|-------------|--|--|
| 10 | एम.ए. समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर | समाजशास्त्र | 1. Classical sociology Tradition- 05 2. Philosophical and Conceptual foa. Rec. - 05 3. Social change in India- 05 4. Rural Sociology - 05 | अधिकतम 100 अंक न्यूनतम 33 अंक |
| 11 | पीजीडीसीए | कम्प्यूटर | सभी अनिवार्य विषय | अधिकतम - 100 अंक न्यूनतम - 20 अंक (औसत न्यूनतम 40) |
| 12 | डीसीए | कम्प्यूटर | सभी अनिवार्य विषय | अधिकतम - 100 अंक न्यूनतम - 20 अंक (औसत न्यूनतम 40) |

बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम. भाग एक में आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार का प्रश्न पत्र तथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम भाग दो एवं तीन में आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र शामिल है, जिनका प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 अंको का होता है। पर्यावरण एवं मानव अधिकार के प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़े जाते हैं, सिर्फ उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रश्न पत्र के 10 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से मुख्य परीक्षा के अंक में जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2023-24

1. प्रयुक्ति

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 तथा 07 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किए जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफ लाईन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 15 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से पन्द्रह दिन तक जो भी पहले, मान्य होगी। कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण

करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में (अ) में वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल लाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना।
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जाए।

4. प्रवेश सूची

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देयक कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत, अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रवेश दिया गया की मुहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4. घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- (एक सौ रुपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या संबंध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जायें।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय के उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो, तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों में क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम/बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) /बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एम.एस.सी. (गृहविज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/ अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ATKT (ALLOWD TO KEEP TERMS)नियम -

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ATKT (ALLOWD TO KEEP TERMS) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन काउंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आईसीएसई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडियट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (इग्नू को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएँ मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (NATIONAL VOCATIONAL EDUCATION QU) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जायेगा।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा

सम्बद्ध विश्वविद्यालयों में पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जायेगा।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 उपरोक्त कंडिका 07 के खण्ड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन समाप्त

आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रं. 1847/214/आउशि/सम./2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24/08/2021 के अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका वर्ष 2021-22 की कंडिका 9.4 (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) को विलोपित करते हुए सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को ही गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाये।

11.4 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी 'क' में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्तीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र पौत्रियों, नाती, नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कॉम्पैटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में धारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस/स्काउट्स

| | |
|---|------------|
| स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेंजर्स/रावर्स के अर्थ में पढ़ा जावे। | |
| (क) एन.सी.सी./एन.एस.एस "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.सी.सी./एन.एस.एस "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय संचालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस कॉन्टिजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट | 10 प्रतिशत |
| (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट्स एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट्स को/ अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी में चयनित विद्यार्थी को | 15 प्रतिशत |

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 05 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनकी प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक होंगे।

16. विशेष

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार/दायित्व प्राचार्य का होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 09.2 एवं 09.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा प्रवेश के समय लिये जाने वाले शुल्क का विवरण :-

शासकीय शुल्क

1. शिक्षण शुल्क
2. प्रवेश शुल्क
3. स्टेशनरी शुल्क

राशि (रूपये में)

- 115/- अ.ज.जा, अजा. तथा बालिकाओं को छूट
03/-रूपये
02/-रूपये

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 4. प्रायोगिक शुल्क | - | 20/-रूपये (प्रायोगिक विषय वाले प्रवेशार्थियोंको) |
| अशासकीय शुल्क | | राशि (रूपये में) |
| 1. सम्मिलित निधि | - | 32/-रूपये |
| 2. स्नेह सम्मेलन/युवा उत्सव | - | 30/-रूपये |
| 3. परिचय पत्र | - | 30/-रूपये |
| 4. साइकल स्टैण्ड | - | 30/-रूपये |
| 5. महाविद्यालय विकास | - | 25/-रूपये |
| 6. छात्रसंघ | - | 30/-रूपये |
| 7. चिकित्सा | - | 03/-रूपये |
| 8. निर्धन सहायता | - | 05/-रूपये |
| 9. रीडिंग रूम | - | 30/-रूपये |
| 10. शारीरिक कल्याण शुल्क | - | 150/-रूपये |
| 11. स्थानीय परीक्षा | - | 75/-रूपये |
| 12. सुरक्षा निधि | - | 60/-रूपये (प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा महाविद्यालय छोड़ने पर वापस) |
| 13. रेडक्रॉस | - | 40/-रूपये |

जनभागीदारी शुल्क

राशि (रूपये में)

- बी.ए., बी.कॉम तथा बी.एस.सी. के प्रवेशार्थी के लिए - 700/- रूपये (प्रत्येक सत्र में)
- बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस विषय के प्रवेशार्थियों के लिए - 2000/-रूपये (प्रत्येक सत्र में)

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के लिए शुल्क

- शिक्षण शुल्क (पीजीडीसीए) - 8000/-रूपये (प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
- शिक्षण शुल्क (डीसीए) - 7000/-रूपये (द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
- शिक्षण शुल्क (डीसीए) - 5000/-रूपये (प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
- शिक्षण शुल्क (डीसीए) - 5000/-रूपये (द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश के समय)
- बी.एस.सी. कक्षाओं में देय शुल्क के समान।

2. शेष शुल्क

एलुमिनी शुल्क (महाविद्यालय छोड़ने पर) - 100/- रूपये

नोट :-

- उपरोक्त शुल्क परिवर्तनीय है।
- सभी शुल्क (परीक्षा तथा नोड्यूस शुल्क को छोड़कर) प्रवेश के समय एक साथ जमा करने होंगे।
- वार्षिक, सेमेस्टर एवं पूरक परीक्षा के शुल्क का निर्धारण हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- प्रवेश के समय लिये जाने वाला शुल्क (सुरक्षा निधि को छोड़कर) वापस नहीं किया जाएगा।

संक्षिप्त प्रवेश शुल्क विवरण

| क्रं. | कक्षा | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र | समस्त छात्राएँ, अजा तथा अजजा के छात्र |
|-------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 01 | बी.ए. भाग एक (भूगोल विषय के साथ) बी.एस.सी. भाग एक | 1405/- | 1290/- |
| 02 | बी.ए. भाग एक (भूगोल विषय के बिना) बी.कॉम. भाग एक | 1385/- | 1270/- |
| 03 | बी.ए. भाग दो एवं तीन (भूगोल विषय के साथ) तथा बी.एस.सी. भाग दो एवं तीन | 1345/- | 1230/- |
| 04 | बी.एस.सी. भाग एक (कम्प्यूटर साइंस विषय के साथ) | 2705/- | 2590/- |
| 05 | बी.एस.सी. भाग दो एवं तीन (कम्प्यूटर साइंस विषय के साथ) | 2645/- | 2530/- |
| 06 | एम.ए. समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर | 1385/- | 1270/- |
| 07 | एम.ए. समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर | 1325/- | 1210/- |
| 08 | बी.ए. भाग दो एवं तीन (भूगोल विषय के बिना) | 1325/- | 1210/- |

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|---------|
| | तथा बी.कॉम. भाग दो एवं तीन | | |
| 09 | पी.जी.डी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर | 9290 /- | 9290 /- |
| 10 | पी.जी.डी.सी.ए. द्वितीय सेमेस्टर | 7000 /- | 7000 /- |
| 11 | डी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर | 6290 /- | 6290 /- |
| 12 | डी.सी.ए. द्वितीय सेमेस्टर | 5000 /- | 5000 /- |

नोट :- उपरोक्त शुल्क परिवर्तनीय है तथा शुल्कों में शासन/महाविद्यालय विकास समिति के द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

शुल्क संबंधी छूट

1. स्नातकोत्तर स्तर तक छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
2. स्नातक स्तर तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों को शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
3. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र-पुत्री स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है। (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक कक्षाओं के लिए शुल्क

बी.ए. तथा बी.एस.सी. कक्षाओं में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के निर्देशानुसार प्रायोगिक विषयों का चयन करने वाले परीक्षार्थियों को महाविद्यालय में चार सप्ताह का प्रायोगिक कोर्स करना अनिवार्य है, जिसके लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य है। इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क महाविद्यालय में जमा करना होगा। प्रायोगिक विषयों में अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को सितम्बर माह में प्रवेश दिया जायेगा।

1. बी.एस.सी. भाग - एक, दो एवं तीन
2. बी.ए. भाग - एक, दो एवं तीन (भूगोल)

प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र तथा प्रमाण पत्रों की सूची

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र/ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन की हार्डकापी।
2. 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण होने की अंकसूची की छायाप्रति।
3. बी.ए., बी.एस.सी. तथा बी.कॉम भाग दो में प्रवेश के लिए भाग - एक की अंकसूची की छायाप्रति।
4. बी.ए., बी.एस.सी. तथा बी.कॉम भाग तीन में प्रवेश के लिए भाग - एक एवं दो की अंकसूची की छायाप्रति।
5. एम.ए./एम.एस.सी./पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश लेने के लिए स्नातक (तीनों भाग) की अंकसूची की छायाप्रति।
6. पिछली संस्थान/शाला/महाविद्यालय छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की मूलप्रति।
7. पिछली संस्थान/शाला/महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
8. छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/बी.पी.एल./गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
10. आधारकार्ड की छायाप्रति।
11. बैंक पासबुक में व्यक्तिगत तथा खाता क्रमांक अंकित पृष्ठ की छायाप्रति।
12. समय अंतराल (Gap Affidavit) यदि किसी शिक्षा सत्र में अंतराल रहा हो तो।
13. पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो 02 नग।
14. अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी माइग्रेशन सर्टिफिकेट/पात्रता प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
15. परिचय पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी।
16. N-List में सदस्य बनने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी।
17. इच्छुक छात्र/छात्राओं एन.एस.एस./रेडक्रॉस/रेड रिबन के सदस्य बनने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी।

नोट :- जिस प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना है, उनकी प्रवेश लेते समय मूलप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल प्रति के अभाव में प्रवेश स्थगित/प्रवेश पर रोक या मेरिट सूची से नाम हटाया जा सकता है। प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

सुरक्षा निधि का प्रत्यावर्तन

छात्र/छात्राओं के मध्य या सत्रांत में किसी कारण महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, उसी समय सुरक्षा निधि के वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुरक्षा निधि वापसी के लिए ग्रंथालय, प्रयोगशाला, खेलकूद एवं कार्यालय से अशेष प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन के साथ संलग्न कर संबंधित प्रभारी सहायक ग्रेड के पास जमा करना होगा। सुरक्षा निधि की वापसी 15 कार्य दिवस के अंदर नकद या बैंक खाता में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

एनुमिनी

महाविद्यालय से पासआउट होने वाले छात्र/छात्राओं के संघ का गठन किया गया है, जो कि शासन से पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त है। सदस्यों में से संघ का अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य कार्यकारी का निर्वाचन किया जाता है। संघ के गठन का उद्देश्य नये छात्र/छात्राओं को अनुभव का लाभ देना, मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करना है, साथ-साथ आपस में एक-दूसरे की मदद तथा आपसी मेलजोल बनाये रखना है। संघ का आजीवन सदस्य बनने के लिए 100/- रुपये का शुल्क संघ के खाते में भुगतान करना होता है।

छात्र-छात्राओं के लिए समय-सारणी

महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार समय चक्र का पालन करता है। प्रातः 10:30 बजे से संध्या 05:30 बजे तक महाविद्यालय का कार्यालय शनिवार एवं रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस खुला रहता है, जबकि प्रत्येक कार्य दिवसों में कक्षाओं का संचालन किया जाता है। सत्र के प्रारंभ में कक्षाओं की समय-सारणी जारी किया जाता है, जिसके अनुसार विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता है। सैद्धान्तिक कालखण्ड 40/45 मिनट होता है, जबकि प्रायोगिक कक्षाएँ 80/90 मिनट का होता है।

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाएँ

1. व्याख्यान कक्ष ग्रीन बोर्ड सहित।
2. भूगोल, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस विषयों की प्रायोगशालाएँ।
3. सेमिनार हाल एलसीडी, प्रोजेक्टर सहित।
4. रीडिंग रूम।
5. महाविद्यालय की वेबसाइट।
6. पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र।
7. कैरियर काउंसिलिंग सेल।
8. पार्किंग शेड।
9. स्मार्ट क्लासरूम।
10. वनस्पति उद्यान।
11. इंडोर बैडमिंटन मैदान।
12. आउटडोर खेलों का मैदान।
13. गर्ल्स कॉमन रूम।
14. पर्याप्त मात्रा में बालक एवं बालिका वॉशरूम।
15. पुस्तकालय में N-List की सुविधा।
16. ग्रंथालय।
17. हेल्पडेस्क।

छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रदान किये जाने वाले छात्रवृत्ति आवेदनों को अनुशासित/अग्रेषित किया जाता है। सामान्यतः छात्रवृत्ति आवेदनों को निम्न परिस्थितियों में अनुशासित/अग्रेषित किया जाता है।

1. छात्र-छात्रा महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित हो। उसकी सभी विषयों के कक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति हो।
2. शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक आय से पालक की आय कम हो।
3. आवेदक पूरे सत्र में किसी एक छात्रवृत्ति के आवेदन कर रहा हो। एक से अधिक आवेदनों को अग्रेषित नहीं किया जायेगा।
4. अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के आवेदनों को पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर ही अग्रेषित किया जायेगा।

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। इसके लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के पालकों की वार्षिक आय 2,00,000/- रुपये से अधिक न हो, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के पालकों की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मासिक छात्रवृत्ति दर अलग-अलग है, जो शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहता है। इस छात्रवृत्ति के लिए महाविद्यालय में संचालित सभी कक्षाओं के छात्र-छात्रा आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

2. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिन छात्र-छात्राओं के पालक गरीबी रेखा से नीचे या बी.पी.एल. कार्डधारी हैं उन्हें स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस छात्रवृत्ति की पात्रता है। इसके लिए शासन द्वारा जारी बी.पी.एल. कार्डधारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा आवेदक पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण तथा पालक का वार्षिक आय 25,000/- रुपये से कम होना चाहिए।

3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :-

केन्द्र शासन द्वारा यह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। यह छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्डकापी महाविद्यालय में जमा करना होता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की तुलना में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की मासिक दर से अधिक होती है। इसका आवेदन ऑनलाइन करना होता है, इसके अलावा महाविद्यालय द्वारा निःशक्त जन छात्रवृत्ति, नैनिहाल छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, श्रम छात्रवृत्ति आदि छात्रवृत्ति के आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

नोट :- छात्र-छात्रा को एक सत्र में कोई भी एक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। किसी त्रुटिवश दो छात्रवृत्ति के आवेदन अग्रेषित हो जाता है तो छात्र-छात्रा को एक छात्रवृत्ति वापस किये जाने के बाध्य होगा। यदि गलत जानकारी देकर एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो शासन के नियमानुसार दण्ड का भागी होगा।

नियमित परीक्षार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय के कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. तीन चौथाई आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.एस.एस./खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना प्रत्येक सत्र के 31 अक्टूबर तक की जायेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल किया जायेगा।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी। उपस्थिति की द्वितीय गणना प्रत्येक सत्र से 15 फरवरी को किया जायेगा।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

1. प्रत्येक विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उल्लेख्य नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र अव्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौज, मारपीट या आग्नेय आस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल नित्यसन

और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

5. महाविद्यालय एवं छात्रावास सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित करेगा।
6. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या विद्यार्थी को असामाजिक या विद्यार्थी को असामाजिक या अपराधियों में लिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
7. वह अपनी मांगे प्रदर्शन आंदोलन तथा आतंक फैलाकर नहीं करेंगे, विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगे मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

8. अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी, एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगा। अन्यथा वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित समय के लिए पुस्तक प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
4. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थ होने पर आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
 2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर कारावास की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा।
 3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में देय शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
 4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में उसका पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति में सम्मुख करेंगे।

रैगिंग एवं दण्ड

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग का प्रतिरोध) अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्जेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है कि किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृतज्ञ करने के लिए उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास सदोश अवरुध, सदोश परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी कार्य से प्रेरित करता हो। रैगिंग का अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पाँच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे

संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

रैगिंग के अंतर्गत

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1883 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है -

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव-मार्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाय या डरा-धमकाकार गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है।

| स्पष्ट आदेश | रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दण्ड |
|---|--|
| सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए | 1. प्रवेश निरस्त किया जाना। |
| सामूहिक कवायद करने के लिए | 2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना। |
| सीनियरों को क्लास-नोट्स उतारने के लिए | 3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना। |
| अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए | 4. परीक्षाओं से वंचित करना। |
| सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए | 5. परीक्षा परिणाम रोकना। |
| अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए | 6. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध। |
| नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए शराब उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना। | 7. संस्था से रेस्ट्रिकेट किया जाना। |
| | 8. आर्थिक दण्ड रू. 25000/- तक |

नोट :- मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला में शासन के निर्देशानुसार एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है।

ग्रंथालय

महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के अध्ययन-अध्यापन हेतु ग्रंथालय स्थापित है, जिसमें कार्यालयीन अवधि में छात्र-छात्राएँ तथा शिक्षक उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। नियमित छात्र-छात्राओं को अपने साथ घर में अध्ययन हेतु 15 दिवस के लिए कोई भी एक पुस्तक निःशुल्क जारी किया जाता है। समयावधि में पुस्तक वापस जमा नहीं करने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है, इसी प्रकार शिक्षकों को भी पुस्तक अध्ययन अध्यापन हेतु निःशुल्क जारी किया जाता है। महाविद्यालय ग्रंथालय में वनस्पतिशास्त्र के 570, प्राणीशास्त्र के 680, रसायनशास्त्र - 485, गणित - 265, भौतिकशास्त्र - 115, कम्प्यूटर साइंस - 60, भूगोल - 405, समाजशास्त्र - 270, राजनीतिशास्त्र - 625, अर्थशास्त्र - 104, वाणिज्य - 545, अंग्रेजी - 332, हिन्दी - 700, सामान्य ज्ञान - 250 तथा शासन के नियमों एवं निर्देशों के - 40 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा 10 से अधिक मासिक पत्रिका

उपलब्ध है। प्रतिदिन 03 दैनिक समाचार पत्र भी अध्ययन हेतु उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन अध्ययन हेतु ग्रंथालय में N-List की भी सुविधा छात्र-छात्राओं/शिक्षक/एलुमिनी के लिए उपलब्ध है।

पाठ्योत्तर गतिविधियाँ

महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (100 सीट) उपलब्ध है, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्र-छात्राओं द्वारा स्वच्छता, राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना एवं जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छात्र-छात्राओं के लिए महाविद्यालय परिसर में खेलकूद के लिए बैटमिन्टन, कबड्डी, क्रिकेट आदि के लिए मैदान निर्मित किया गया है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए महाविद्यालय में कक्षानुसार वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीम एकल तथा टीम प्रतियोगिताओं में भाग लेती है, जिसके लिए महाविद्यालय प्रशासन हमेशा सहयोग करता है।

छात्र-छात्राओं को लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में सहभागीता के लिए स्वीप शाखा भी महाविद्यालय संचालित किया जाता है, समय-समय पर स्वीप अंतर्गत मतदान, निर्वाचन, लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा छात्र-छात्राओं के द्वारा महापुरुषों के जन्म तिथि पर तथा राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश उत्सव, वार्षिक उत्सव तथा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

हेल्प डेस्क

महाविद्यालय में नियमित एवं अमहाविद्यालय छात्र-छात्राओं को अध्ययन-अध्यापन, प्रवेश, परीक्षा तथा कार्यालयीन कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए महाविद्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क के लिए सहायक प्राध्यापक को प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की नियुक्त किया गया है। हेल्प डेस्क द्वारा छात्र-छात्राओं की महाविद्यालय स्तर की सभी समस्याओं को समाधान किया जाता है। उच्च कार्यालयों की समस्या के लिए छात्र-छात्राओं को उचित मार्गदर्शन किया जाता है।

ST/SC/OBC प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में शासन के मंशा अनुरूप ST/SC/OBC प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ में जातिगत, वर्गभेद धर्म आधारित भेदभाव से संबंधित शिकायत छात्र-छात्राएँ एवं महाविद्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारी कर सकते हैं। महाविद्यालय स्थापना से लेकर अभी तक ST/SC/OBC प्रकोष्ठ से संबंधित छात्र-छात्राओं तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ शासन के नियम तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यावाही किया जायेगा, उक्त कार्यावाही के लिए प्राचार्य द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है।

महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज/ड्रेस कोड :-

महाविद्यालय में उपस्थित या प्रवेश करने हेतु समस्त नियमित प्रवेशित छात्र-छात्रों को जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित होना चाहिए। किसी छात्र-छात्रा के पास निर्धारित ड्रेस नहीं होने पर उसे स्वच्छ एवं शालीन ड्रेस पहन कर महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक छात्र-छात्रा के पास महाविद्यालय से जारी परिचय कार्ड होना चाहिए, परिचय कार्ड के अभाव में प्रवेश शुल्क की रसीद साथ रखना चाहिए। परिचय कार्ड या प्रवेश शुल्क रसीद के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।

छात्र-छात्राओं के अलावा महाविद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकने वाले की सूची :-

1. छात्र-छात्रा के पालक/मां/पिता (जब आवश्यक हो तभी)।
2. अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी (परीक्षा के समय)।
3. छात्र-छात्राओं के पूर्व शिक्षक।
4. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आमंत्रित व्यक्ति।
5. महाविद्यालय में गठित जनभागीदारी समितिके अध्यक्ष एवं सदस्य।
6. प्राचार्य/शिक्षक/जनभागीदारी सदस्यों/कर्मचारियों के परिचित व्यक्ति।
7. महाविद्यालय परिसर में निर्माण मरम्मत तथा साफ-सफाई में कार्यरत व्यक्ति।

8. दिव्यांग/बीमार व्यक्ति के सहयोगी। (अनुमति प्राप्त कर)
9. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी तथा कर्मचारी।
10. जनप्रतिनिधि तथा शासन के अधिकारी/कर्मचारी।
11. प्राचार्य/शासन के अनुमति से उपरोक्त से अन्य व्यक्ति।

जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय के संचालन के लिए सम्मानित व्यक्तियों एवं पालकों के मध्य से जनभागीदारी समिति का गठन प्रत्येक दो वर्षों के लिए किया जाता है। अध्यक्ष की मनोनयन क्षेत्रीय विधायक या शासन के अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री टोमन लाल साहू, गृह ग्राम डडेसरा, तहसील-गुरुर, जिला बालोद है। शासन के दिशा-निर्देशों अनुसार 16 सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है। उपाध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की नियुक्ति कलेक्टर महोदय द्वारा तथा समिति की पदेन सदस्य सचिव प्राचार्य है। समिति द्वारा महाविद्यालय एवं छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक निर्माण कार्य, सामग्री तथा सुझाव महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता है। प्रवेश के समय छात्र-छात्राओं से लिये जाने वाले जनभागीदारी शुल्क का उपयोग समिति के अनुशंसा एवं अनुमोदन पश्चात् महाविद्यालय एवं छात्र-छात्राओं के विकास के लिए व्यय किया जाता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार 2005, लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार से देश की सामान्य जनता को शासन की कार्यप्रणाली में किये जा रहे सार्वजनिक कार्य, लोक प्राधिकारियों के उत्तर दायित्व जानने का अधिकार देता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ गठन किया गया है। प्रकोष्ठ के माध्यम से महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाता है। प्रथम आवेदन जनसूचना अधिकारी के पास करना होता है, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तथा शुल्क जमा करना होता है।

सूचना के अधिकार के तहत गठित प्रकोष्ठ -

| | | |
|-----------------------|---|--|
| जनसूचना अधिकारी | - | डॉ. सपना कौर (प्रभारी प्राचार्य) सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र |
| सहायक जनसूचना अधिकारी | - | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, सहायक प्राध्यापक भूगोल |

प्राप्त उत्तर या दस्तावेज से आवेदक संतुष्ट नहीं है ऐसी स्थिति में 30 दिवस के भीतर अपीलिय अधिकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर, नया रायपुर को अपील कर सकते हैं।

महाविद्यालय में गठित समितियों -

| | | |
|---|---|---|
| 01. छात्रसंघ प्रभारी /संयोजक सदस्य | - | डॉ. यशवंत कुमार साव, (सहा. प्रा. हिन्दी) |
| | - | श्री संतोष देवांगन (अति. प्रा. रसायनशास्त्र) |
| | - | सुश्री रितु साहू (अति. प्रा. कम्प्यूटर साइंस) |
| 02. अनुशासन समिति संयोजक सदस्य | - | डॉ. यशवंत कुमार साव, (सहा. प्रा. हिन्दी) |
| | - | समस्त सहायक प्राध्यापक |
| 03. एन्टी रैगिंग कमेटी संयोजक सदस्य | - | डॉ. यशवंत कुमार साव, (सहा. प्रा. हिन्दी) |
| | - | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, (सहा. प्रा. भूगोल) |
| | - | डॉ. आशीष द्विवेदी (अति. प्रा. राजनीति विज्ञान) |
| | - | श्री लीकेश्वर प्रसाद (अति. व्या. वाणिज्य) |
| 04. महिला उत्पीड़न समिति संयोजक सदस्य | - | डॉ. सपना कौर (प्राचार्य) |
| | - | श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) |
| | - | सुश्री योगिता ठाकुर (सहा. प्राध्यापक प्राणीशास्त्र) |
| | - | सुश्री रितु साहू (अति. प्रा. कम्प्यूटर साइंस) |

| | | |
|--|---|--|
| 05. अनुसूचित जाति / जनजाति प्रकोष्ठ | | |
| संयोजक | - | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, (सहा. प्रा. भूगोल) |
| सदस्य | - | श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) |
| | - | सुश्री योगिता ठाकुर (सहा. प्राध्यापक प्राणीशास्त्र) |
| 06. छात्रवृत्ति समिति | | |
| संयोजक | - | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, (सहा. प्रा. भूगोल) |
| सदस्य | - | सुश्री रितु साहू (अति. प्रा. कम्प्यूटर साईंस) |
| | - | श्री कमलनारायण साहू (शिक्षक पीजीडीसीए) |
| | - | श्रीमती छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन) |
| | - | श्री दुर्गेश देवदास (कम्प्यूटर ऑपरेटर) |
| 07. IQAC समिति | | |
| संरक्षक / अध्यक्ष | - | डॉ. सपना कॉर, (प्राचार्य) |
| नोडल अधिकारी | - | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, (सहा. प्रा. भूगोल) |
| सदस्य | - | डॉ. यशवंत कुमार साव, (सहा. प्रा. हिन्दी) |
| | - | श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) |
| | - | सुश्री योगिता ठाकुर (सहा. प्राध्यापक प्राणीशास्त्र) |
| | - | डॉ. आशीष द्विवेदी (अति. प्रा. राजनीति विज्ञान) |
| | - | श्री कमलेश्वर साहू (अति. प्रा. अंग्रेजी) |
| 08. रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन समिति | | |
| संयोजक | - | डॉ. यशवंत कुमार साव, (सहा. प्रा. हिन्दी) |
| सदस्य | - | श्री कमलेश्वर साहू (अति. प्रा. अंग्रेजी) |
| | - | श्री संतोष देवांगन (अति. प्रा. रसायनशास्त्र) |
| | - | श्री राजेन्द्र जंघेल (अति. प्रा. वनस्पतिशास्त्र) |
| 09. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति | | |
| संयोजक | - | डॉ. आशीष द्विवेदी (अति. प्रा. राजनीति विज्ञान) |
| सदस्य | - | श्री कमलेश्वर साहू (अति. प्रा. अंग्रेजी) |
| | - | सुश्री मोनिका चन्द्राकर (अति. प्रा. भौतिकी) |
| | - | सुश्री वंदना ध्रुव (अति. प्रा. अर्थशास्त्र) |
| 10. राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्वच्छता अभियान | | |
| कार्यक्रम अधिकारी | - | श्री प्रमोद भारती, (सहा. प्रा. वाणिज्य) |
| सहायक | - | श्री राजेन्द्र जंघेल (अति. प्रा. वनस्पतिशास्त्र) |
| 11. स्वीप कार्यक्रम प्रभारी / नोडल अधिकारी | | |
| संयोजक | - | सुश्री योगिता ठाकुर, (सहा. प्रा. प्राणीशास्त्र) |
| सदस्य | - | सुश्री मोनिका चन्द्राकर (अति. प्रा. भौतिकी) |
| | - | श्री संतोष देवांगन (अति. प्रा. रसायनशास्त्र) |
| 12. शिक्षक पालक समिति | | |
| प्रभारी | - | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहा. प्रा. भूगोल) |
| सदस्य | - | डॉ. यशवंत कुमार साव (सहा. प्रा. हिन्दी) |
| | - | श्री प्रमोद भारती (सहा. प्रा. वाणिज्य) |
| | - | सुश्री योगिता ठाकुर, (सहा. प्रा. प्राणीशास्त्र) |
| 13- ALUMENI ASSOCIATION | | |
| प्रभारी | - | डॉ. यशवंत कुमार साव (सहा. प्रा. हिन्दी) |
| सदस्य | - | श्री राजेन्द्र जंघेल (अति. प्रा. वनस्पतिशास्त्र) |
| | - | श्री संतोष देवांगन (अति. प्रा. रसायनशास्त्र) |
| 14. शिकायत एवं निवारण समिति | | |
| | - | डॉ. सपना कॉर (चेयरपर्सन) |
| | - | डॉ. यशवंत साव (सहायक प्राध्यापक हिन्दी) |
| | - | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहायक प्राध्यापक भूगोल) |
| | - | श्री प्रमोद भारती (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) |
| | - | सुश्री योगिता ठाकुर (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र) |
| | - | श्री राघोसिंह ठाकुर (सहायक) |

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/अतिथि व्याख्याता/
अंशकालीन व्याख्याता सत्र 2023-24 की सूची

| क्रं. | नाम | पद | विषय | शैक्षणिक योग्यता |
|-------|---------------------------|--|-----------------|--|
| 01 | डॉ. सपना कॉर | प्रभारी प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक | समाजशास्त्र | एम.ए., पी.एच.डी. समाजशास्त्र |
| 02 | डॉ.यशवंत कुमार साव | सहायक प्राध्यापक | हिन्दी | एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत) बी.एड., एम. फिल., नेट, सेट, पी.एच.डी. हिन्दी |
| 03 | डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर | सहायक प्राध्यापक | भूगोल | एम.ए., एम.फिल. पी.एच.डी. यू.जी.सी. नेट भूगोल |
| 04 | श्री प्रमोद भारती | सहायक प्राध्यापक | वाणिज्य | एम.कॉम, सी.जी. सेट |
| 05 | सुश्री योगिता ठाकुर | सहायक प्राध्यापक | प्राणीशास्त्र | एमएससी. (बायोटेक्नोलॉजी) सीजी सेट लाइफ साइंस |
| 06 | डॉ. आशीष द्विवेदी | अतिथि व्याख्याता | राजनीति विज्ञान | एम.ए., एम. फिल., पीएचडी. राजनीति विज्ञान |
| 07 | कु. वंदना ध्रुव | अतिथि व्याख्याता | अर्थशास्त्र | एम.फिल., एम.ए. सेट अर्थशास्त्र |
| 08 | श्रीमती अंजनी पैकरा | अतिथि व्याख्याता | समाजशास्त्र | एम.फिल, एम.ए. सेट समाजशास्त्र |
| 09 | श्री कमलेश्वर साहू | अतिथि व्याख्याता | अंग्रेजी | एम.फिल., एम.ए. अंग्रेजी |
| 10 | श्री संतोष देवांगन | अतिथि व्याख्याता | रसायनशास्त्र | एमएससी. रसायनशास्त्र |
| 11 | कु. मोनिका | अतिथि व्याख्याता | भौतिकी | एमएससी. भौतिकी |
| 12 | कु. रिंतु | अतिथि व्याख्याता | कम्प्यूटर साइंस | एमएससी. कम्प्यूटर साइंस |
| 13 | श्री राजेन्द्र जंघेल | अतिथि व्याख्याता | वनस्पतिशास्त्र | एमएससी. वनस्पतिशास्त्र, सेट लाइफ साइंस |
| 14 | श्रीमती मतीता | अतिथि व्याख्याता | गणित | एम. फिल., एम.एस.सी. गणित |
| 15 | श्री लीकेश्वर प्रसाद | अतिथि व्याख्याता | वाणिज्य | एम.कॉम |
| 16 | रिक्त | अतिथि व्याख्याता | समाजशास्त्र | |
| 17 | श्री कमलनारायण साहू | अंशकालीन व्याख्याता | कम्प्यूटर | एमसीए |

महाविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

| क्रं. | कर्मचारी का नाम | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त |
|-------|---------------------------|---------------------------|------------|---------|-------|
| 01 | श्रीमती छायारानी साहू | प्रयोगशाला तकनीशियन | 05 | 01 | 04 |
| 02 | रिक्त | सहायक ग्रेड 01 | 01 | 00 | 01 |
| 03 | रिक्त | सहायक ग्रेड 02 | 01 | 00 | 01 |
| 04 | रिक्त | सहायक ग्रेड 03 | 01 | 00 | 01 |
| 05 | रिक्त | प्रयोगशाला परिचारक | 04 | 00 | 04 |
| 06 | श्री राघोसिंह ठाकुर | भृत्य | 02 | 02 | 00 |
| 07 | श्री मनीष कुमार सागर | | | | |
| 08 | रिक्त | चौकीदार | 01 | 00 | 01 |
| 09 | रिक्त | स्वच्छक (कलेक्टर दर) | 01 | 00 | 01 |
| 10 | श्री दुर्गेश कुमार देवदास | अंशकालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर | | | |
| 11 | श्री गुलाबचंद साहू | अंशकालीन चौकीदार | | | |
| 12 | श्री अंगदराम यादव | अंशकालीन स्वच्छक | | | |

जनभागीदारी कर्मचारी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011(क्र 23 सन् 2011) की धारा 3/45 एवं 7 द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाले सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा पदाभिहित अधिकारी सक्षम अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी

प्रपत्र-2 (नियम -16) अनुसूची

पदाभिहित अधिकारी का नाम-डॉ सपना कौर, प्रभारी प्राचार्य

मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला - बालोद (छ.ग.)

| क्र. | अधिसूचित लोकसेवा | आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची | सेवायें प्रदान करने के लिए निश्चित समय- सीमा | सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम | अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम | अपील के निराकरण हेतु समय-सीमा |
|------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सभी प्रकार के रिफण्ड का भुगतान | आवेदन पत्र एवं संबंधित रसीद की मूलप्रति अंकसूची की छायाप्रति | 15 दिवस | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 2 | महाविद्यालयीन प्रवेश का निपटारा | मूल स्थापनतरण प्रमाण पत्र अर्हकारी परीक्षा के अंकसूची की छायाप्रति, पासपोर्ट फोटो आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्र तथा माईग्रेशन नाम परिवर्तन आदि तथा निर्धारित शुल्क | प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 3 | छात्रवृत्ति स्वीकृति | निर्धारित प्रपत्र में आवेदन अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति, आय, जाति, एवं निवास प्रमाण पत्र, फीस कार्ड परिचय पत्र संबंधित प्रमाण पत्र तथा बीपीएल कार्ड की प्रति। | 30 दिन के भीतर | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 4 | छात्रवृत्ति का भुगतान | परिचय पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता क्रमांक। | 15 कार्य दिवस | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 5 | पुस्तकों का प्रदाय | आवेदन पत्र, परिचय पत्र, लाईब्रेरी कार्ड | 15 कार्य दिवस | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 6 | स्थानांतरण प्रमाण/चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना | निर्धारित आवेदन पत्र, अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति प्रथम प्रवेश के समय का शुल्क रसीद | 07 कार्य दिवस | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 7 | परिचय पत्र जारी करना | शुल्क रसीद एवं प्रवेश कार्ड की मूल प्रति | 15 कार्य दिवस | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 8 | छात्रावास में प्रवेश | आय, जाति, निवास एवं दूरी प्रमाण पत्र, अंकसूची, परिचय पत्र, | 15 कार्य दिवस | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 9 | मार्कशीट | आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश पत्र/परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर | 30 कार्य दिवस | कलेक्टर | संभागीय आयुक्त | 45 दिन |
| 10 | पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम व कक्ष :- श्रीमती छायारानी साहू (प्रयोगशाला तकनीशियन) कक्ष - कार्यालय कक्ष। | | | | | |

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ



विद्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विधान उद्देशिका का वाचन एवं शपथ

नैक टीम द्वारा प्रयोगशाला का अवलोकन



एस.एस. स्वयं सेवको द्वारा साफ-सफाई

महाविद्यालय में स्थापित वर्मी कम्पोज्ड यूनिट



विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा मतदान करने हेतु आम जनता को प्रेरित करने हेतु रैली



COLLEGE AT A GLANCE

| | | |
|----------------------|---|--|
| Establishment Name | : | Madanlal Sahu Govt. College Armarikala |
| Establishment Date | : | 23-06-2011 |
| Institution Status | : | Government |
| Affiliated To | : | Hemchand Yadav University, Durg |
| Campus Areas | : | 20 Acres |
| Buil-Up-Area | : | 1504 Sq.Mtr. |
| UGC Recognition | : | Under Section 2F (06-02-2018) |
| NAAC Recognition | : | CGPA- 2.006(2022 TO 2027) |
| Programm | : | 13 (B.Sc.-05, B.A.-04, B.COM-01, M.A.-01 PGDCA-01, DCA- 01) |
| Courses | : | 45 |
| Total Teaching Staff | : | 17 |